

(2) जो कोई भी धारा 7 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के उल्लंघन में आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह दो वर्ष के कारावास के लिए दण्डनीय होगा तथा दस हजार रुपए तक जुर्माना भी हो सकती है।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
राष्ट्रपति

टी.के. विश्वनाथन
सचिव, भारत सरकार

DC-1-B